

विषय सूची/TABLE OF CONTENTS			पृष्ठ	
	२०१९-२०		2019-20	
1	(i) अनुदानों की ब्योरेवार मांगें - मांग संख्या ४२ - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1	(i) <b>Detailed Demands for Grants - Demand No. 42- Department of Health &amp; FW</b>	1-131
	(ii) संस्थापना की अनुमानित संख्या तथा उनके लिये प्रावधान को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ३१)		(ii) Estimated strength of Establishment and provisions therefor.(Appendix-XXXI)	132-134
	(iii) केन्द्रीय योजना में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर खर्च के लिये परियोजनावार प्रावधान (परिशिष्ट ३२)		(iii) Project-wise provision for expenditure on externally-aided projects (Appendix-XXXII)	135
	(iv) बजट अनुमान २०१९-२०२० में २५ लाख और उससे अधिक रुपये के आयोजना-भिन्न व्यय के प्रावधान के व्यापक ब्योरेवारों को दर्शाने वाला स्थूल विवरण (परिशिष्ट ३३)		(iv) Statement showing broad details of expenditure (other than Centrally Sponsored and Central Sector Schemes) provisions costing Rs. 25 lakhs and above in Budget Estimates 2019-2020 (Appendix-XXXIII)	136-138
	(v) गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदानों के लिये बजट अनुमान २०१९-२०२० में शामिल किये गये प्रावधानों का विवरण (परिशिष्ट ३४)		(v) Details of Provisions in Budget Estimates 2019-2020 for payments of Grants-in-aid to Non-Government Bodies (Appendix-XXXIV)	139-144
	(vi) पांच करोड़ रूपए या इससे ज्यादा वाले अलग-अलग कार्यों और परियोजनाओं के ब्योरेवारों को दर्शाने वाला विवरण बजट अनुमान २०१८-२०१९ में शामिल किया गया (परिशिष्ट ३५)		(vi) Work Annexure - Details of individual works costing Rs.5 crore or above (Appendix XXXV)	145
	(vii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों की परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ३६)		(vii) Statement Showing Revised Cost Estimates of Projects of Public Sector Undertakings and Departmental Undertakings (Appendix XXXVI)	146
	(viii) गैर-सरकारी निकायों को सरकारी संपत्ति जिसकी कीमत पांच लाख रूपए से ज्यादा है, के हस्तांतरण अथवा गिफ्ट को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ३७)		(viii) Particulars of Government property of value exceeding Rupees 5 lakhs proposed to be transferred/gifted to non-Government bodies in 2019-2020 (Appendix XXXVII)	147
	(ix) बजट अनुमान २०१९-२०२० में अंतर्राष्ट्रीय निकायों को दिए जाने वाले अंशदान की व्यवस्था (परिशिष्ट ३८)		(ix) Statement showing contributions to International Bodies provided for in the Budget Estimates 2019-2020 (Appendix-XXXVIII)	148
	(x) ३१.०३.२०१८ की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारन्टी और बकाया (परिशिष्ट ३९)		(x) Guarantee given by the Central Government and outstanding as on 31.03.2018 (Appendix--XXXIX)	149
	(xi) वर्ष २०१७-१८ के दौरान पांच लाख रूपए (आवर्ती) अथवा दस लाख रूपए (गैर आवर्ती) से ज्यादा का सहायता अनुदान (परिशिष्ट ४०)		(xi) Statement showing Grant-in-aid exceeding Rs.5 lakh (Recurring) or Rs.10 lakh (Non-Recurring) sanctioned to Private Institutions/ Organisation/ Individuals during the year 2017-18 (Appendix-XL)	150
	(xii) भारत की समीक्षित निधि से प्रति वर्ष १० लाख रूपए से अधिक का निधि प्राप्त करने वाले अनुदान ग्राही निकायों हेतु निधियों के स्रोत को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ४१)		(xii) Statement showing the source of funds for grantee bodies receiving grants of over Rs. 10 lakh per year from Consolidated Fund of India (Appendix - XLI)	151

२०१९-२०		2019-20	
(xiii) नवीन सेवा/सेवा से संबंधित नवीन माध्यम के वे ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान 2019-20 में प्रावधान किया गया है 1 (परिशिष्ट ४२)		(xiii) Statement showing Particulars of "New Service/New Instrument of Service" for which provision is made in the Budget Estimates 2019-2020 (Appendix-XLII)	152
(xiv) उद्देश्य शीर्ष वार ब्योरेवार प्रावधानों का विवरण		(xiv) Statement showing the detailed provisions Object head-wise	153-154
(xv) व्यय के मासिक व्यय के ब्योरे का विवरण		(xv) Monthly Break-up of Expenditure (Gross).	155
<b>2 (i) अनुदानों की ब्योरेवार मांगें - मांग संख्या ४३ - स्वास्थ्य अनु-संधान विभाग</b>	<b>2</b>	<b>(i) Detailed demands for Grants - Demand No. 43 - Department of Health Research</b>	<b>1-4</b>
(ii) संस्थापना की अनुमानित संख्या तथा उनके लिए प्रावधान को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ३१)		(ii) Estimated strength of Establishment and provisions therefor.(Appendix-XXXI)	5-7
(iii) केन्द्रीय योजना में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर खर्च के लिये परियोजनावार प्रावधान (परिशिष्ट ३२)		(iii) Project-wise provision for expenditure on externally-aided projects (Appendix-XXXII)	8
(iv) बजट अनुमान २०१९-२०२० में २५ लाख और उससे अधिक रुपये के आयोजना-भिन्न व्यय के प्रावधान के व्यापक ब्योरे को दर्शाने वाला स्थूल विवरण (परिशिष्ट ३३)		(iv) Statement showing broad details of expenditure (other than Centrally Sponsored and Central Sector Schemes) provisions costing Rs. 25 lakhs and above in Budget Estimates 2019-2020 (Appendix-XXXIII)	9
(v) गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदानों के लिये बजट अनुमान २०१९-२०२० में शामिल किये गये प्रावधानों का विवरण (परिशिष्ट ३४)		(v) Details of Provisions in Budget Estimates 2019-2020 for payments of Grants-in-aid to Non-Government Bodies (Appendix-XXXIV)	10
(vi) पांच करोड़ रूपए या इससे ज्यादा वाले अलग-अलग कार्यों और परियोजनाओं के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण बजट अनुमान २०१८-२०१९ में शामिल किया गया (परिशिष्ट ३५)		(vi) Work Annexure - Details of individual works costing Rs.5 crore or above (Appendix XXXV)	11
(vii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों की परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ३६)		(vii) Statement Showing Revised Cost Estimates of Projects of Public Sector Undertakings and Departmental Undertakings (Appendix XXXVI)	12
(viii) गैर-सरकारी निकायों को सरकारी संपत्ति जिसकी कीमत पांच लाख रूपए से ज्यादा है, के हस्तांतरण अथवा गिफ्ट को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ३७)		(viii) Particulars of Government property of value exceeding Rupees 5 lakhs proposed to be transferred/gifted to non-Government bodies in 2019-2020 (Appendix XXXVII)	13
(ix) बजट अनुमान २०१९-२०२० में अंतर्राष्ट्रीय निकायों को दिए जाने वाले अंशदान की व्यवस्था (परिशिष्ट ३८)		(ix) Statement showing contributions to International Bodies provided for in the Budget Estimates 2019-2020 (Appendix-XXXVIII)	14
(x) ३१.०३.२०१८ की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारन्टी और बकाया (परिशिष्ट ३९)		(x) Guarantee given by the Central Government and outstanding as on 31.03.2018 (Appendix--XXXIX)	15
(xi) वर्ष २०१७-१८ के दौरान पांच लाख रूपए (आवर्ती) अथवा दस लाख रूपए (गैर आवर्ती) से ज्यादा का सहायता अनुदान (परिशिष्ट ४०)		(xi) Statement showing Grant-in-aid exceeding Rs.5 lakh (Recurring) or Rs.10 lakh (Non-Recurring) sanctioned to Private Institutions/ Organisation/ Individuals during the year 2017-18 (Appendix-XL)	16

२०१९-२०		2019-20	
(xii) भारत का समाकृत नाथ स प्रात वर्ष १० लाख रूपए स आधक का नाथ प्राप्त करन वाल अनुदान ग्राही निकायों हेतु निधियों के स्रोत को दर्शाने वाला विवरण (परिशिष्ट ४१)		(xii) Statement showing the source of funds for grantee bodies receiving grants of over Rs. 10 lakh per year from Consolidated Fund of India (Appendix - XLI)	17
(xiii) नवीन सेवा/सेवा से संबंधित नवीन माध्यम के वे ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान 2019-20 मे प्रावधान किया गया है 1 (परिशिष्ट ४२)		(xiii) Statement showing Particulars of "New Service/New Instrument of Service" for which provision is made in the Budget Estimates 2019-2020 (Appendix-XLII)	18
(xiv) उदेश्य शीर्ष वार व्योरेवार प्रावधानों का विवरण		(xiv) Statement showing the detailed provisions Object head-wise	19-20
(xv) व्यय के मासिक व्यय के ब्योरे का विवरण		(xv) Monthly Break-up of Expenditure (Gross).	21